

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2017

S.O.....(E).- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes for the said clause, the Punjab State Electricity Regulatory Commission, constituted by the Government of Punjab, in respect of the following specified income arising to that Commission, namely:-

- (a) amount received in the form of processing fee for determination of tariff;
- (b) amount received in the form of licence fee;
- (c) amount received in the form of petition fee; and
- (d) amount of interest income earned on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Punjab State Electricity Regulatory Commission,-

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file returns of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be applicable for the financial years 2016-17 to 2020-21.

[Notification No. 08/2017 F.No.300196/3/2016-ITA-I]



(Deepshikha Sharma)

Director to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Press,
New Delhi.

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (II) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी, 2017

अधिसूचना

का. आ... (अ) -आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पंजाब सरकार द्वारा गठित आयोग, 'पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग' को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, आय का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

- (क) दर के निर्धारण के लिए प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में प्राप्त राशि;
- (ख) लाइसेंस शुल्क के रूप में प्राप्त राशि;
- (ग) याचिका के शुल्क के रूप में;
- (घ) जमाखाने पर अर्जित ब्याज आय राशि।

2. यह अधिसूचना पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग की शर्तों के अद्ययधीन प्रावधानों की होगी:-

- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
- (ख) कार्यकलाप और आय विशेष की प्रकृति वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा - 4(ग) के खंड (द) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करे।

3. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2016-17 से 2020-21 के लिए लागू होगी।

(अधिसूचना सं.

05/2017 फा. सं. 300196/3/2016-आईटीए-1)

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी इंडिस्ट्रियल प्रेस,

राजौरी गार्डन के निकट, नई दिल्ली.